भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3260
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

कर्तव्य-केंद्रित मूल्यों का विकास

3260. डॉ. आनन्द कुमार गोंड :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विधि विश्वविद्यालयों के सहयोग और भागीदारी से हाल ही में शुरू की गई 'कर्तव्यम्' नामक राष्ट्रीय पहल की जानकारी है, जिसका उद्देश्य कर्तव्य केंद्रित दृष्टिकोण और कर्तव्यबोध से न्यायकरण को राष्ट्रीय विधायी विमर्श का हिस्सा बनाना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कर्तव्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने से सकारात्मक नागरिक अनुशासन, सामाजिक सद्भाव, वैचारिक संतुलन और लोकतंत्र की दीर्घकालिक सुदृढ़ता में योगदान मिलेगा ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार देश में कर्तव्यबोध से न्यायकरण की भावना विकसित करने हेतु मौलिक अधिकारों की तुलना में मौलिक कर्तव्यों को समान संबैधानिक प्राथमिकता देने हेतु किसी नीति/कानूनी ढांचे पर विचार कर रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अधीन मूल कर्तव्यों का कार्यान्वयन एक संवैधानिक लोकतंत्र के भीतर उत्तरदायी नागरिकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री ने वर्तमान युग को '*कर्तव्य काल*' कहते हुए इस बात पर बल दिया है कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए इन मूल कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है । ये कर्तव्य नैतिक बाध्यताओं के रूप में कार्य करते हैं जो विधिक अधिकारों के पूरक हैं जो एक लोकतांत्रिक

समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलन बनाने में सहायता करते हैं।

ये एक संवैधानिक दर्शन को दर्शाते हैं जिसमें मूल अधिकारों (भाग 3) से संपन्न नागरिकों से राष्ट्र के बृहत्तर कल्याण के लिए अपने मूल कर्तव्यों (भाग 4-क) का भी पालन करने की भी अपेक्षा की जाती है। नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम (2020), शैक्षिक पाठ्यक्रमों में कर्तव्यों का समाकलन, और संविधान दिवस समारोहों और मीडिया प्रसारणों के माध्यम से आउटरीच प्रयासों सहित अन्य विधिक, शैक्षिक और सार्वजनिक पहलों को मूल कर्तव्यों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ये प्रयास इस बात को अभिस्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र तभी सही ढंग से फल-फूल सकता है जब नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों, दोनों को अक्षुण्ण बनाए रखें।

(ख) : सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेंटर द्वारा हाल ही में शुरू की गई "कर्तव्यम्" नामक पहल की जानकारी है । 21 विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य कर्तव्य-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और संवैधानिक एवं विधायी वार्तालाप के कार्य ढांचे के भीतर कर्तव्य न्यायशास्त्र विकसित करना है।

भारत के संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर ने 22 अप्रैल को कर्तव्यम व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन किया । संवैधानिक कर्तव्य की अवधारणा पर आधारित, ये श्रृंखला जन चेतना में एक गहन परिवर्तन लाने की प्रेरणा देती है— अधिकार-केंद्रित वार्तालाप से हटकर एक ऐसे वार्तालाप की ओर वहन करना जो समान रूप से उत्तरदायित्वों का सम्मान करता हो। यह नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देने और उत्तरदायी नागरिकता की संस्कृति विकसित करने की दिशा में एक सार्थक कदम का द्योतक है।

"कर्तव्यम्" न केवल एक व्याख्यान श्रृंखला है —यह एक अभूतपूर्व मंच है जहाँ न्यायालय के दिग्गज, प्रख्यात न्यायविद और प्रमुख विधि विशेषज्ञ संवैधानिक विचारधारा का अन्वेषण और पुनःपरिभाषित करने के लिए एकत्रित होते हैं। विचारोत्तेजक चर्चाओं में भाग लेने, अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और विधि, शासन और न्याय पर एक परिवर्तनकारी संवाद का हिस्सा बनने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएँ।

(ग) : सरकार का यह विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 51क के अधीन सन्निविष्ट मूल कर्तव्यों के अनुरूप कर्तव्य-केंद्रित दृष्टिकोण का अंगीकरण नागरिक अनुशासन को बढ़ावा देने, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने, वैचारिक संतुलन सुनिश्चित करने और दीर्घकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के लिए नैतिक और नागरिक ज़िम्मेदारियों के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकारों के साथ-साथ इन कर्तव्यों पर ज़ोर देने वाली संस्कृति, विधि का पालन करने वाले व्यवहार, समुदायों के बीच परस्पर आदर और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। ऐसा दृष्टिकोण एक संतुलित और ज़िम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देकर संविधान के अधिकार-आधारित कार्य ढाँचे का पूरक है। सरकार, स्कूली पाठ्यक्रमों,

जन अभियानों और शैक्षणिक सहयोगों के माध्यम से इन कर्तव्यों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देती है।

(घ) : अनुच्छेद 51क के माध्यम से संविधान के भाग 4-क में शामिल किए गए मूल कर्तव्य, नैतिक बाध्याताएं हैं न कि विधिकतः प्रवर्तनीय अनिवार्यताएं । ऐसे मूल अधिकारों के विपरीत, जो न्यायालयों के माध्यम से न्यायोचित और प्रवर्तनीय हैं, मूल कर्तव्य गैर-न्यायोचित हैं। तथापि, भारत में, इन कर्तव्यों में सन्निविष्ट मूल्यों को विधिक प्रभाव प्रदान करने के लिए कई मुख्य विधान बनाए गए हैं।

इन कानूनी उपबंधों के अलावा, बहुत से मूल कर्तव्यों को स्पष्ट विधियों के बजाय न्यायिक निर्वचन के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, उदाहरणार्थ, *एम.सी. मेहता* मामले की श्रृंखला, जहाँ न्यायालयों ने अनुच्छेद 51क(छ) (पर्यावरण की रक्षा करने के कर्तव्य को अनिवार्य बनाना) का निर्वचन राज्य के कार्यों पर आबद्धकर होने के रूप में किया है । दशकों से, भारत ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, लैंगिक गरिमा को बढ़ावा देने, शिक्षा को बढ़ावा देने और लोक संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से कई विधियां बनाई हैं। जैसे: -

(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 ।

(ख) लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 325 से 327)।

(ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ।

******